www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 06.02.2017

सीबीआई ने तथाकथित गैर-अनुपातिक सम्पत्ति रखने पर आयकर आयुक्त एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने 4.28 करोड़ रू. लगभग की तथाकथित गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने पर आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली ; उनकी पत्नी एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि उक्त अधिकारी (आई.आर.एस., 1988 बैच), ए.सी.आई.टी. से आयकर आयुक्त तक के विभिन्न पदों पर लोक सेवक के तौर पर काम करने के दौरान अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर चल व अचल सम्पत्तियॉं बनाई जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोत का गैर अनुपातिक है।

चेन्नई, सूरत, सहरसा (बिहार) एवं दिल्ली सहित 12 स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें उनकी पत्नी, माँ एवं पुत्र के नाम पर सम्पत्तियों व कुछ कम्पनियों की सूचना से सम्बन्धित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। चेन्नई एवं सूरत के कुछ चार्टेड अकाउन्टेन्ट जो कि उक्त अधिकारी के साथ कथित रूप से जुड़े हुए थे, के परिसरों में भी तलाशी की गई।

आगे की जॉंच जारी है।

****